संख्या- 19/2025/127/35-4-2025/35-4099/108/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच |

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांकः 10 फरवरी, 2025

विषय:- जनपद बहराइच में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक महसी, बहराइच हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या- 12/2020/251/35-4-2020 दिनांक 17-02-2020 द्वारा राजकीय पॉलीटेनिक, भिरवा, महसी, बहराइच के भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1821.43 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख, शासनादेश दिनांक 23.09.2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 710.72 लाख, शासनादेश दिनांक 07.11.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 552.93 लाख (जिसमें रु0 97.57 लाख GST की धनराशि सम्मिलित) एवं शासनादेश दिनांक 27.07.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 266.71 लाख; अद्यतन कुल रू0 1730.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी, बहराइच के पत्रांक- 615/त्व०आ०वि०यो०/2020-21/2024 दिनांक 29-01-2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुये एवं बचत तथा अर्जित ब्याज की धनराशि का उल्लेख करते हुए अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत, बचत तथा अर्जित ब्याज की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू० 77.27 लाख (रूपये सतहत्तर लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य	अनुमोदित/ प्रावैधिक धनराशि	कार्य पूर्ण के बाद शुद्ध बचत	बचत के उपरांत कार्य की शुद्व लागत	अद्यतन अवमुक्त धनराशि (मूल के सापेक्ष +GST हेतु)	अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजकीय पॉलीटेक्निक महसी, बहराइच का भवन निर्माण कार्य	1821.43 (+GST नियमानुसार देय)	111.37	1710.06	1730.36 (1632.79 + 97.57)	77.27

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दि० 17.02.2020, दिनांक 23.09.2021, दिनांक 07.11.2022 एवं दि० 27.07.2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू० 77.27 लाख (रूपये सतहत्तर लाख सत्ताईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 420202104030302 राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या- 19/2025/127(1)/35-4-2025/35-4099/108/2022-तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक्त, देवीपाटन मण्डल ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ०प्र०
9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमतीनगर, लखनऊ |
10. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच ।
14. अपर परियोजना प्रबंधक, बहराइच इकाई, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, बहराइच |
15. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।